न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2016

अपीलांट

पुष्करराज पुत्र श्री केशवलालजी राजगुरू, जाति पुरोहित, उम्र व्यस्क, पेशा खेती निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. अचलचंद पुत्र श्री ओटमलजी पोरवाल जैन आयु 63 वर्ष पेशा व्यापार
2. प्रकाश कुमार पुत्र हंजारीमलजी पोरवाल जैन आयु 57 वर्ष, पेशा व्यापार सर्वनिवासीयान कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दिनेश सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2011 बउनवान अचलचंद व अन्य बनाम पुष्करराज में पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2065 पर निर्मित 50 फीट बाय 40 फीट भूमि पर प्लेट फार्म पर भवन निर्माण व दीवार निर्माण व प्रवेश करने व रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी से रोकने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्टगण मोजा कालन्द्री के खसरा नंबर (पुराने) 514 व 1516 मय कृषि आराजी कुंआ क्रमशः 4.18 बीघा एवं 1.14 बीघा कुल 5.01 बीघा के अपने कुटुम्बजनो के साथ खातेदार कृषक नहीं है बल्कि मात्र 4.18 भूमि के ही खातेदार है। जबकि अपीलांट 1516/1 रकबा 0.03 बिस्वा गै.मु. मकान/मय भूमि का स्वामी है। अपीलांट के पुराने खसरा नंबरा 1516/1 के मिलान खसरा नंबर अनुसार 2066 रकबा 0.02 हैक्टेयर बना है। जबकि रेस्पोडेन्टगण के विवादित खसरा नंबर 1516 नही बल्कि 1516मी है। उपतहसीलदार कालन्द्री ने अपनी नापचोप की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2016 में अपीलांट के खसरा नंबर 1516 मी का अतिक्रमी नहीं माना है। मौका फर्द दिनांक 15.03.2016 में अपीलांट को पुराने खसरा नंबर 1516/1 का खातेदार गै.मु. मकान पर कब्जा बताया है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ ही रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2065 पर भी अतिक्रमी पाया जाने का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण का मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं है। बिना कब्जा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मिलान खसरा नंबर के अनुसार रेस्पोडेन्टगण अकेले खसरा नंबर 1516 के खातेदार नहीं है। पुराने खसरा नंबर 1516 के 1516 मी के रूप में रेस्पोडेन्ट एवं 1516/1 के रूप में पुराने खसरा नंबरान अनुसार अपीलांट खातेदार है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टगण द्वारा मातहत न्यायालय में पूर्व में दायर वाद संख्या 144/02 बाबत घोषणा खातेदारी एवं बेदखली का वाद प्रस्तुत किया, जिसकी विषय वस्तु सारतः व वस्तुतः उक्त वाद के समान होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए जेर अपील आदेश पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपासत फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2065 पर निर्मित 50 फीट बाय 40 फीट भूमि पर प्लेट फार्म पर भवन निर्माण व दीवार निर्माण व प्रवेश करने व रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी से रोकने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। गावं कालन्द्री में रेस्पोडेन्टगण एवं कुटुम्बियो के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मय कुआ खसरा नंबर 1514 रकबा 03 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1516 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। राजस्थान राज्य के अधिकारियेा व कर्मचारियो ने रेस्पोडेन्टगण व उनके कुटुम्बीजन के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि में से 03 बिस्वा भूमि केशवलाल राजगुरू के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की एवं खसरा नंबर 1516/1 बनाकर केशवलाल राजगुरू की मृत्यु के पश्चात उक्त खसरा नंबर 1516/1 की 03 बिस्वा भूमि उसके पुत्र मूलशंकर, रामलाल, पुष्करलाल व महावीरकुमार के नाम दर्ज हुई। केशवलाल राजगुरू के पुत्रो ने पुराने खसरा नंबर 1516 के वर्तमान खसरा नंबर 2065 में 50 फीट बाय 40 फीट भूमि पर पक्का प्लेट फार्म मकान निर्माण हेतु बनाया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपतहसीलदार कालन्द्री व पटवारी हल्का कालद्री, भू.अ.नि. कालंद्री की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2016 के अनुसार अपीलांट का रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2065 पर अतिक्रमण पाया जाना अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत हैं अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2065 पर निर्मित 50 फीट बाय 40 फीट भूमि पर प्लेट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फार्म पर भवन निर्माण व दीवार निर्माण व प्रवेश करने व रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी से रोकने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपतहसीलदार कालन्द्री, भू–अभिलेख निरीक्षक कालन्द्री एवं पटवारी हल्का कालन्द्री–प्रथम से वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 के अनुसार "मौके पर विवादित भूखंड खसरा नंबर (पुरान1516/1) नये 2066 रकबा 0.02 हैक्टेयर के पुराने नक्शे लट्ठे एवं वर्तमान लेमीनेटेड शीट व लट्ठे से मौका जांच की गई। नक्शे व रेकर्ड के आधार पर पाया गया कि मौके पर पुराने खसरा नंबर पुरान1516/1 वर्तमान नंबर 2066 जो अप्रार्थीगण पुष्कर्राज पुत्र केशवलाल वगैरह की खातेदारी भूमि (गै.मु. मकान) है पर कब्जा है साथ ही प्रार्थीगण अचलचंद पुत्र ओटमल वगैरह जैन की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2065 पर भी अतिक्रमण पाया गया। जिसमे आवासीय मकान देवस्थान व कब्जा बाडा पाया गया।" उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2065 पर अतिक्रमण पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर कानूनी प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया हैं जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2011 बउनवान अचलचंद व अन्य बनाम पुष्कर्राज में पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली